

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,
एम्बिशन इंटर कालिज,
छपरौली, बागपत।

पत्रांक : मा०शि०प०/मान्यता /मे०/ 111

दिनांक - 27 जून, 2025

विषय: इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन वर्ग/विषय की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में :-

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या: 516 (3) / 15-7-2025-1 (02) / 2025 उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम-1921 (संशोधित-1987) की धारा 7क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था एम्बिशन इंटर कालिज, छपरौली, बागपत को बालक विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष 2027 की इंटरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग की वित्त विहीन मान्यता दिये जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एंव आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत करायें।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एंव परिषद को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पत्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।
- (4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इंटरमीडिएट की नवीन मान्यता पर प्रभावी होगा।
- (5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्थाधिकारी द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ,जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) प्रतिभूति (जमानत) की धनराशि रूपये 5000=00 रूपये 5000=00 प्रति वर्ग की दर से) विद्यालय के नाम एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बन्धक करा कर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।
- (ग) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवरस्थी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले किलयरीफिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
- (घ) विद्यालय में प्राइमरी कक्षायें मान्य नहीं होगी।
- (ङ) प्रदान की जा रही मान्यता का नवीनीकरण 03 के उपरान्त कराना अनिवार्य होगा।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग

अनिवार्य विषय

वैकल्पिक विषय

इण्टर वैज्ञानिक वर्ग – सामान्य हिन्दी,अंग्रेजी,गणित,भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान।
नवीन

टिप्पणी – इस पत्र में अकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छ)माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

(ज्योति प्रसाद)

अपर सचिव

माध्यमिक शिक्षा परिषद

क्षेत्रीय कार्यालय ,उ0प्र0मेरठ

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0 / मान्यता / में0 / 111 (1-4)

दिनांक-27 जून, 2025

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ।
2. सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश ,प्रयागराज।
3. सभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल मेरठ ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत।

(ज्योति प्रसाद)

अपर सचिव

3 जून 2025